फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– 129/29/2011

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	2/8/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 25/9/24 को पेश हो। [signature]	
	25/9/24	व.का. उप.। पत्रावली वास्ते बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/11/24 को पेश हो। [signature]	
	6/11/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हो। [signature]	
	29/11/24	व.का. उप./ बहस हेतु अंतिम अवसर वास्ते अवसर दिया जाकर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 30/12/24 को पेश हो। [signature]	
	30/12/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो। [signature]	
	27/1/25	व.का. उप./ बहस [illegible] बार-बार अवसर दिये जाने के [illegible] को बहस [illegible] का/ अवसर [illegible] / प्रार्थी/अप्रार्थीगण अभाव पैरवी/कारण की [illegible] सीधे ही खारिज गई पत्रावली का अवलोकन किया गया/ वादीगण का वाद आंशिक [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :-

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		रूप से स्वीकार अंतिम डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर घोषित पत्रावली किया गया। डिक्री पत्र जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] तथा आदेश हस्ताक्षर है।
		(हस्ताक्षर)
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–129/29/2011

उनवान

1. नन्दलाल उर्फ नन्दाराम पुत्र स्व0 प्रिरागमल उर्फ प्रागा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
   1/1. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दाराम
   1/2. रुडी देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/3. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/4. कमली देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/5. सुरजी देवी स्व0 नन्दाराम
   1/6. धापा उर्फ धापू देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवी का थान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी 5, संतोष नगर कॉलोनी, ब्रंम्हपुरी रोड, जयपुरा हाल निवासी किसान सर्विस सेन्टर (पेट्रोल पम्प) ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. एस0एच0ओ0 पुलिस थाना गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–27.01.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी कानून में विश्वास रखने वाला शान्तिप्रिय व्यक्ति है, जो कि पेशे से काश्तकार है, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का स्थायी निवासी है, कि खातेदारी काश्त की कृषि भूमियां भी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं में स्थित है। वादी को सह खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0 ग्राम [illegible] जिसमें वादी का हिस्सा 30/43 हैक्टेयर व शेष अन्य हिस्सा सह खातेदा[illegible] का है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का इस भूमि में अब वर्तमान में कोई हक हिस्सा [illegible] है। मात्र प्रतिवादी संख्या 1 भूमि खसरा नम्बर 6195 का खातेदार है, जो कि भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 के लगवा सींव जोड पर स्थित है। इसके अलावा अन्य भूमियां भी वादी की है, जिनके बारे में वादी वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रख रहा है। भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 है0 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

–खातेदारों ने अपने–अपने राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का 6/43 भाग दर्ज है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य खसरा नम्बर 6195 रकबा 5.50 ऐयर के साथ सह खातेदार कब्जाधारी छीतरमल पुत्र मोहरु उर्फ मोहनलाल यादव, निवासी ढाणी देवी का थान ग्राम खेजरोली वाले को दिनांक 20.02.1998 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर दिया था तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 एवं छीतर के मध्य सिविल वाद प्रारम्भ हो जाने के कारण भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 का खाता (नामान्तकरण) नहीं खुलने से उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, परन्तु दिनांक 13.12.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 ने छीतर से सिविल वाद में राजीनामा कर लिया एवं 6/43 भू–भाग को पूर्णरुपेण छीतर को कब्जे में मानकर सुपुर्द कर दिया इस प्रकार अब प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 में कानूनन किसी भी प्रकार से हक हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद भी महज बदनियति के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 में वादी के हक हिस्से कब्जे में अनावश्यक रुप से दखन्दाजी करने लगा जिसके कारण इस वाद में भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 की पैट्रोल पम्प किसान सर्विस सेन्टर की तरफ वाली सीमा को चौमूं खेजरोली रोड के समानान्तर भूमि विवादग्रस्त से सम्बन्धित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 6195 की सीमा वादी की भूमि विवादग्रस्त के सींव जोड है एवं सींव जोड होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से चौमूं खेजरोली रोड के सामानान्तर भूमि विवादग्रस्त पर बिना सीमाज्ञान करवाये ही वादी को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिनांक 25.01.2011 को छीतरमल के कहने के बाद वादी की भूमि विवादग्रस्त पर पुख्ता तामीरात एवं निर्माण करने के मौके पर नींव खुदवाने लगा तो वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 को अपने कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 धनबल एवं पुलिस के सहयोग से कब्जा कर लेने की ऐलानियां धमकी दी जिसके कारण यह न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजिम आया है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 6195/8848 पर बिना कायमी सीमा चिन्हों के मौके पर वादी को बेदखल [illegible] नहीं करें ना ही नव निर्माण कारें, ना ही वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में [illegible] करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त पर कोई नव निर्माण सामग्री डाले उपरोक्त कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन या दीगर व्यक्तियों से करवायें एवं मौके की यथास्थित बनाए रखें। प्रतिवादी संख्या 1 की बेजा गैर कानूनी हरकतों को रुकवाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 3 को इस कदर पाबन्द किया जावें कि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

...का सहयोग करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 की गैर कानूनी हरकतों के लिए उसे पाबन्द करें और मौके पर भूमि विवादग्रस्त का सीमा चिन्ह कायम करने बाबत् प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वाद वादी दुर्भावी व मनगढन्त है जिसमें वादी ने वास्तविक तथ्या छुपाये है, तथा उक्त छीतर को भी पक्षकार नहीं बनाया है, एवं वादी व प्रतिवादी के मध्य चल रही पूर्व मुकदमें बाजी भी छुपाई है, जिस कारण ही वाद वादी खारिज होने योग्य है। उक्त छीतर व मन प्रतिवादी के मध्य स्वयं वादी के समक्ष मान्य न्यायालय के समक्ष वाद उनवानी छीतर बनाम विष्णु व मान्य न्यायालय सिविल जज चौमूं के समक्ष यह राजीनामा हुआ है कि छीतर के विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1998 में विक्रित भूमि के पेटे छीतर की 81*81 फुट भूमि ही रहेगी, शेष भूमि के बारे में उक्त विक्रय पत्र निरस्त रहेगा तथा उक्त 81*81 फुट भूमि जो खसरा नम्बर 6195/8848 चौमूं–खेजरोली सडक पर है, के बारे में विक्रय पत्र प्रभाव में रहेगा। उक्त 81*81 फुट में छीतर का मौजूदा कारखाना, 6 दुकाने व मकान भी शामिल है, उक्त भूमि के उत्तर में 140 फुट, उत्तर–दक्षिण में चौडी भूमि मन प्रतिवादी की रहेगी, जिसके बाद मन प्रतिवादी का पेट्रोल पम्प का डण्डा है। 81*81 फुट भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 के अलावा शेष भूमि के बारे में विक्रय पत्र निरस्त व निष्प्रभावी रहेगा, एवं भूमि खसरा नम्बर 6195 चौमूं खेजराली सडक की और उत्तर दक्षिण में 140 फुट चौडी मन प्रतिवादी विष्णु कुमार की रहेगी, जिसमें मौजूदा में डण्डा व दो दुकाने बनी है, मन प्रतिवादी विष्णु कुमार की उक्त भूमि खसरा नम्बर 6195 के दक्षिण में मन प्रतिवादी विष्णु कुमार के पेट्रोल पम्प का उत्तरी छोर का डण्डा पुख्ता हैं, तथा मन प्रतिवादी विष्णु कुमार की 140 फुट चौडी भूमि के उत्तर में उक्त छीतर की उक्त 81*81 भूमि रहेगी, उक्त छीतर व मन प्रतिवादी अपनी–अपनी भूमि में अपने अपने अनुसार निर्माण कर सकेंगे एवं दोनों की सीमा पर दोनों पक्षों का डण्डा शामलाती होगा, जिसका खर्चा आधा–आधा वहन किया जायेगा। मौजूदा राजस्व नक्शे में पेट्रोल पम्प एवं खसरा नम्बर 6195/8848 को एक–दूसरे के संलग्न गलत दिखाया गया है, जबकि पेट्रोल पम्प एवं खसरा नम्बर 6195/8848 के मध्य खसरा नम्बर 6195 में ही 140 फुट चौडी मन प्रतिवादी की उक्त भूमि मौके पर है, उक्त अनुसार राजस्व नक्शे की भी पक्षकारान दुरुस्ती करा... उक्त राजीनामें से ही स्पष्ट है कि वादी द्वारा जो भूमि वाद में मिथ्या ही अपनी ... की गई है व खसरा नम्बर 6195/8848 का भाग नहीं होकर मन प्रतिवादी के खसरा नम्बर 6195 का भाग है तथा वादी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल मात्र उक्त खसरा नम्बर का नक्श गलत होने की वजह से ही वादी ने मौके का नाजायज लाभ अर्जित कर लेने के लिये यह मिथ्या वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

किया है। उक्त राजीनामे के समय वादी भी उपस्थित था तथा वादी व उक्त छीतर के अधिवक्ता महोदय भी एक ही है, ऐसी परिस्थिति में वादी के लिये उक्त कार्यवाहीयां स्वीकृति है। उक्त विषय वस्तु का ही वाद उनवानी विष्णु बनाम नन्दलाल वगै0 मन प्रतिवादी का किया हुआ मान्य न्यायालय सिविल जज में भी लम्बित है, जिसके चलते भी उक्त वाद चलने योग्य ही नहीं है। उक्त वाद के अस्तित्व को वादी द्वारा जानबूझ कर छुपाया गया है, जिस कारण भी वादी कोई अनुतोष का अधिकारी नहीं रह जाता है। उक्त वाद में वादी द्वारा समुचित अनुतोष भी नहीं चाहा गया है, न ही सीमाज्ञान का अनुतोष उक्त वाद के माध्यम से अनुज्ञेय है, जिस कारण भी खारिज होने योग्य है।

पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 6195 / 8848 रकबा 0.43 है0 ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फा0 ट्र0 / मुख्यालय) चौमूँ
चौमूं, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–129/29/2011
उनवान–नन्दलाल बनाम विष्णु कुमार
निर्णय दिनांक–27.01.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–129/29/2011

उनवान

1. नन्दलाल उर्फ नन्दाराम पुत्र स्व0 प्रिरागमल उर्फ प्रागा जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)

   1/1. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दाराम
   1/2. रुडी देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/3. प्रभाती देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/4. कमली देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   1/5. सुरजी देवी स्व0 नन्दाराम
   1/6. धापा उर्फ धापू देवी पुत्री स्व0 नन्दाराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवी का थान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. विष्णु कुमार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी 5, संतोष नगर कॉलोनी, ब्रम्हपुरी रोड, जयपुरा हाल निवासी किसान सर्विस सेन्टर (पेट्रोल पम्प) ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. एस0एच0ओ0 पुलिस थाना गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–129/29/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक [illegible] जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

मुकदमा सं0–129 / 29 / 2011
उनवान–नन्दलाल बनाम विष्णु कुमार
निर्णय दिनांक–27.01.2025

जी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

मोहर

ओहदा.........

पीठासीन अधिकारी (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

पीठासीन अधिकारी (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:24 IST
Reason: SelfAttested